


16/4/24

वादी एवं वकील वादी उप. नहीं।  
वकील प्रतिवादी उप.। पार्थना पत्र  
पेश किया जो शामिल पत्रा. किया  
जाया। वादी एवं वकील वादी को  
सा-सा आवाज दिलायी गई। किन्तु  
कोई उप. नहीं जाया। ऐसी स्थिति  
में दावा वादी डि.एम. हाथी एवं  
डि.एम. पेंसरी में खारिज किया जाता  
है। पत्रा. दायित्व दफ्तर ही।



उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (डी.ग.)